राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/वीएस/डीईएस/2013/I/65186/2017 दिनांकः- 1-3-2017

समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला.................................

विषयः-सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा प्रोसेसिन्ग असिस्टेन्ट (DPA) के कार्य एवं दायित्व के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सुदृढीकरण हेतु नियमानुसार IAP Company Pvt. Ltd. के माध्यम से सेवाऐं लेने हेतु प्रत्येक जिले में एक डाटा प्रोसेसिन्ग असिस्टेन्ट (DPA) की सेवाये उपलब्ध करायी गई है। जिलों में उक्त डाटा प्रोसेसिन्ग असिस्टेन्ट (DPA) के कार्य एवं दायित्वों का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

1. जिलों में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रारों से जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की सूचना प्राप्त कर अपडेट करेंगे।
2. हर माह जन्म-मृत्यु रिपोर्ट तैयार कर मुख्य रजिस्ट्रार/अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/स्टेट रिसोर्स को प्रस्तुत करेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा नियत समय (कार्यालय समय) में कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
4. 'पहचान' पर आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करेंगे।
5. जिलों में सभी रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को सिविल रजिस्ट्रेशन कार्य की गुणवत्ता एवं सुदृढीकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।
6. हर माह रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के जन्म-मृत्यु पंजीयन रिपोर्टिंग की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्य रजिस्ट्रार/अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/स्टेट कॉडिनेटर को प्रस्तुत करेंगे।
7. इस कार्य हेतु राज्य स्तर पर कार्यरत स्टेट कॉडिनेटर से अपने द्वारा किये गये कार्यो के बारे में सामंजस्य रखेंगे।
8. अपने-अपने जिलों में शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन इकाईयों का जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण कार्य ''पहचान'' वेबपोर्टल पर ही कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी प्रगति की साप्ताहिक सूचना राज्य स्तर पर प्रस्तुत करेंगे।
9. प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जिले की पूर्ण जीवनांक सूचना मासिक विवरणी (तालिका 1 से 6) में मुख्य रजिस्ट्रार/अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/स्टेट रिसोर्स को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

10. जिलों में वर्ष 2014 के पश्चात् ऑफ लाईन किये गये जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन तथा विवाह में 21 मार्च, 2016 के बाद विवाह पंजीयन जो ऑफलाईन किए गए है, के डाटा को वेबपोर्टल 'पहचान' पर लिगेसी डाटा ऑप्शन के माध्यम से प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे।
11. गत वर्षों (वर्ष 2011,2012 व 2013) के जन्म–मृत्यु पंजीयन के रिकार्ड का डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग का कार्य ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से कराकर प्रतिमाह कार्य की प्रगति रिपोर्ट स्टेट कॉर्डिनेटर को प्रस्तुत करना।
12. जिला एवं खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।
13. **ई–मित्र के माध्यम से प्राप्त जन्म–मृत्यु एवं विवाह के आवेदन एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्राप्त जन्म–मृत्यु के आवेदन का समय का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।**
14. नियमित रूप से ब्लॉक/ग्राम पंचायत का दौरा कर पंजीयन मे आने वाली कठिनाईयों के निराकरण में सहयोग प्रदान करेगें। एक माह में अधिकतम 5 दौरे कर सकेंगे।
15. उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित समस्त कार्यो का समय पर निष्पादन करेंगे।

अतः उपलब्ध कराये गये रिसोर्स से उक्तानुसार ही कार्य करवाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,